



क्र./मुख्या./उद्यान/Earthworm/2024-25/ 2016

दिनांक - 05/9/24

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय- वर्ष 2021-22 एवं आगे की अवधि के लिए जीवित केचुएं की प्रसारित की गई कय-विकय दरों की वैधता अवधि बढ़ाने बाबत।

संदर्भ- मुख्यालय पत्र क्रं 2041 दिनांक 01.08.2022

निगम मुख्यालय द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से वर्ष 2021-22 एवं आगे की अवधि के लिए जीवित केचुएं की कय-विकय दरों का प्रसारण किया गया था। वर्तमान में जीवित केचुएं की नवीन दरों का निर्धारण न होने के कारण दरों की वैधता अवधि में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :-

क्रं	प्रदायक का नाम	प्रजाति	वैधता अवधि
1	M/s Darshan Vermicompost Unit H.no 227G, VPO Mittali, Baghpat (UP) Email- darshanavermicompost@gmail.com Mobile- 9837224900, 9837616065M/s	Eisensia Fetida	दिनांक 30.09.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
2	M/s Jai Shree Organic Vill- Bagwada, Thesil- Amer, Distt Jaipur Mobile- 9001491910, 9587200033	Eisensia Fetida	दिनांक 30.09.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
3	M/s Laxmi Organic Sukram wali Dhani, Nh-8, Bypass, V&P Bagwara, Via Morija, Jaipur Mobile- 8058833530 Email- organics.laxmi@gmail.com	Eisensia Fetida	दिनांक 30.09.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
4	Impexify Global Pvt. Ltd. Shop no 20, Shalimar Complex, SBI square, Sultania road, Bhopal- 462001 Email- info@impexify.com Mobile- 9009304303	Eisensia Fetida & Eudrilus Eugeniae	दिनांक 30.09.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक
5	M/s Karishma Organic Karishma Organic near Govt. Polytechnic college, baronda bazar, Mahasamundh (C.G.) Mobile- 9179488200 Email- neky007@gmail.com	Eisensia Fetida & Eudrilus Eugeniae	दिनांक 30.09.2024 तक अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक

उपरोक्तानुसार जीवित केचुएं की दरों में दिनांक 30.09.2024 अथवा नवीन दरों के निर्धारण तक के लिये वृद्धि की जाती है, सामग्री प्रदाय से संबंधित सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित

प्रतिलिपि :-

2017
05-9-24

1. प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ।

प्रबंधक (उद्यान)

प्रबंधक (उद्यान)